275

[2022] 11 एस सी आर 275

ए.

शिशपाल @शीशु बनाम।

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) (2015 की आपराधिक अपील संख्या 1053) 11 जुलाई, 2022

बी.

[अभय एस**.** ओका और एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860-एस. एस.302, 34 – हत्या-पीड़ित-मृत और पीडब्लू4 शराब की दुकान के सामने कतार में खड़े थे-ए 2 (उच्चतम न्यायालय के समक्ष नहीं) ने पीड़ित पर चाकू से हमला किया, जबकि अपीलकर्ता-अभियुक्त ने पीड़ित को पकड़ लिया-सभी अभियुक्तों ने पीड़ित को शराब की कतार से घसीटा और धारा302 आर/डब्ल्यू एस के तहत अपराध किया।34 आई. पी. सी.- विचारण न्यायालय ने उन्हें आरोपित अपराध का दोषी ठहराया और उच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई-तीन अभियुक्तों में से दो (ए 1 और ए 3) ने अपील प्रस्तुत की है-आयोजितःनीचे दिए गए दोनों न्यायालयों ने एक प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर परीक्षण पहचान परेड से गुजरने के लिए अभियुक्त की ओर से गैर-सहयोग पर भरोसा किया है-हालाँकि, अभियोजन पक्ष के गवाह को पहले ही पुलिस स्टेशन में अभियुक्त के सामने उजागर कर दिया गया था, इसके अलावा, परीक्षण पहचान परेड केवल जांच का एक हिस्सा है और इसकी अधिक भूमिका के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है-अभियोजन पक्ष के पास एस के अनुसार दायित्व को बढ़ाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है।34 अभियुक्त व्यक्तियों पर आई. पी. सी. की धारा-अभियोजन का संस्करण सही नहीं हो सकता है और इस प्रकार पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है-अभियोजन उचित संदेह से परे मामले को स्थापित करने में विफल रहा-दोषसिद्धि को अपास्त करना दिया गया।

सी.

डी.

ई.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

एफ.

यह अभिनिर्धारित किया कि **-**यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है कि दोनों न्यायालयों द्वारा दी गई दोषसिद्धि को कानून की नजर में कायम रखा जा सकता है।दोनों न्यायालयों ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर परीक्षण पहचान परेड से गुजरने के लिए अभियुक्त की

ओर से गैर-सहयोग पर भरोसा किया।दुर्भाग्य से, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच नहीं की गई क्योंकि गवाहों को पहले ही पुलिस स्टेशन में आरोपी के सामने उजागर कर दिया गया था।आखिरकार, परीक्षण पहचान परेड केवल एक जांच का एक हिस्सा है, और इसलिए, इससे अधिक कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है।अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को साबित करे

जी.

एच.

275 ए.

276 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 12 एस. सी. आर.

उचित संदेह से परे।दोनों अदालतों ने आरोपी पर जिम्मेदारी तय की है।उच्च न्यायालय को पीडब्लू**1** के साक्ष्य पर गंभीरता से संदेह करने के बाद संदेह का लाभ बढ़ाना चाहिए था क्योंकि पीडब्लू**3** के साक्ष्य को ऊपर बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य स्वयं यह प्रदर्शित करेंगे कि अभियोजन पक्ष का बयान सही नहीं हो सकता है।यदि उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **307** के तहत अपराध नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, यह न्यायालय उक्त मुद्दे में नहीं जाना चाहता है क्योंकि इस न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष इन अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, जिसे आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** के सहपठित धारा **302** के तहत बनाया गया है। रचनात्मक दायित्व के आधार पर अपीलार्थियों को आरोपित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए क्योंकि आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** साक्ष्य के नियम के अलावा और कुछ नहीं है।**[**पैरा **14] [286-**एफ**-**एच**; 287-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

तरसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन। **(1994) 3** पूरक एस**.** सी**.** सी**. 367;** राजेश यादव और अन्र**.** वी**.**उत्तर प्रदेश राज्य **2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एस**.** सी**. 150;** वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य **[1957]** एस**.** सी**.** आर**. 981;** जसदीप सिंह उर्फ जस्सू बनाम।

डी.

पंजाब राज्य (2022) 2 एस. सी. सी. 545-पर निर्भर था।संदर्भित निर्णय

ई.

[1957] एससीआर **981**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **7**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2015 की आपराधिक अपील सं. 1053।

2011 की आपराधिक अपील संख्या 768 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.05.2014 के निर्णय और आदेश से।

एफ.

के साथ

2018 की आपराधिक अपील संख्या 81।

जी.

सिद्धार्थ यादव, अविनाश शर्मा, श्रीमती के. शारदा देवी, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जयंत के. सूद, ए. एस. जी., सुश्री नीला केदार गोखले, राजन कुमार चौरसिया, जे. कार्तिक, रणदीप सचदेवा, राजीव वासन, रजत नायर, गुरमीत सिंह मक्कर, बी. वी. बलराम दास, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

एच.

277

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली)

ए.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** एम**.** सुंदरेश**,** जे**.**

1. विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पूर्व) एफ. टी. सी. द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आई. पी. सी.') की धारा 34 सहपठित दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के लिए क्रमशः ए 1 और ए 3 द्वारा ये दोनों अपीलें दायर की गई हैं:ई-कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली, जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।दोषी ठहराए गए तीन अभियुक्तों में से केवल दो हमारे सामने हैं।आई. पी. सी. की धारा 34 के आधार पर इन दोनों अभियुक्तों के खिलाफ स्पष्ट कार्य समान होने के कारण, हम एक सामान्य आदेश पारित करना उचित समझते हैं।

बी.

सी.

2. आईडी1 पर रात करीब 8 बजे मृतक और पीडब्लू4 शराब की दुकान के सामने कतार में खड़े थे।ए-2 (हमारे सामने नहीं) ने मृतक पर चाकू से एक चोट लगाकर हमला किया, जबकि अपीलार्थियों ने उसे पकड़ लिया।सभी अभियुक्तों ने कथित तौर पर मृतक को शराब की दुकान की कतार से खींच लिया और उस अपराध को अंजाम दिया जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।

डी.

3. निचली न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 22 गवाहों से पूछताछ की, जबकि बचाव पक्ष ने 8 गवाहों से पूछताछ की।पीडब्लू1 को मृतक की पत्नी कहा जाता है, हालांकि एक स्पष्ट स्वीकारोक्ति थी कि उसकी पहली शादी कानूनी रूप से भंग नहीं हुई थी।यह उसका बयान है कि सभी आरोपी मृतक के घर आए, उनमें से एक, अर्थात् 2015 की आपराधिक अपील संख्या 1053 (ए-1) में अपीलार्थी , घर के अंदर गया और उत्तेजित तरीके से मृतक के ठिकाने के बारे में पूछताछ की।ए-1 ने उसे बताया कि वह अमित (ए-2) है।इसके बाद, वे वहाँ से चले गए, अभियुक्त को पाया और अपराध को अंजाम दिया।उन्होंने ए-1 की पहचान ए-2 के रूप में की। यह उसका आगे का अभिसाक्ष्य है कि जब उसका अभिसाक्ष्य दर्ज किया गया था तो उसने 12.01.2010 पर पुलिस स्टेशन में ए-1 और ए-2 देखा था।हालाँकि वह सूचित किए जाने पर घटना स्थल पर गई थी, लेकिन रात 9.15 बजे तक अस्पताल में उसकी उपस्थिति के बावजूद जाँच शुरू करने वाले जाँच अधिकारी ने उसे अस्पताल में नहीं देखा।यह उसका और सबूत है कि उसने पी. डब्ल्यू. 5 के स्वामित्व वाले सेलफोन का उपयोग करके पुलिस स्टेशन को कॉल किया था, जो संयोग से शत्रुतापूर्ण हो गया था।

ई.

एफ.

जी.

4. यद्यपि निचली विचारण न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष के पक्ष में पीडब्लू1 के साक्ष्य पर ध्यान दिया गया था, उच्च न्यायालय ने गंभीर संदेह उठाए, विशेष रूप से ए 1 और ए 2 के संबंध में की गई पहचान के संबंध में।उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि आरोपी के लिए कोई कारण नहीं था

एच.

ए.

मृतक के घर में जाना, जिस मामले में मकसद स्थापित नहीं हुआ है।

5. पीडब्लू2 मृतक के परिवार का सदस्य है।उन्होंने अपना बयान दर्ज करने से इनकार किया और कहा कि उनके अंगूठे का निशान पुलिस द्वारा एक खाली कागज पर लिया गया था। न्यायालय की अनुमति से अभियोजन पक्ष ने उनसे जिरह की।हालाँकि, उनका यह बयान कि नितिन (पीडब्लू 4) घटना की तारीख को शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक उनके साथ थे, यानी 10.01.2010 पर महाभियोग नहीं चलाया गया था और साथ ही उनका आगे का बयान कि वे दोनों उसके बाद सो गए थे।

बी.

6. पीडब्लू3 अभियोजन पक्ष का उत्कृष्ट गवाह है जिस पर दोनों न्यायालयों द्वारा बहुत अधिक भरोसा किया गया है।अभियोजन पक्ष ने उनकी उपस्थिति में ए-1 के एकमात्र मुद्दे पर उनसे जिरह की थी।यह गवाह एक अनुभवी है क्योंकि उसने कम से कम सात मौकों पर पुलिस के पक्ष में गवाही दी है और एक निश्चित राशि प्राप्त करने की बात भी स्वीकार की है।जाहिर है, वह पुलिस को अच्छी तरह से जानता है कि पुलिस स्टेशन के ठीक सामने एक दुकान है।सबूत के इस हिस्से पर भी अभियोजन पक्ष द्वारा सवाल नहीं उठाया गया था।यह पीडब्लू3 का सबूत है कि उसने ए-2 और ए-3 को मृतक को घसीटते हुए देखा, जबकि ए-2 ने उसे चाकू मार दिया। इस प्रकार, ए-1 की उपस्थिति से स्पष्ट इनकार किया गया था।अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत, उन्होंने कहा है कि दोनों आरोपी पैदल भाग गए।इस गवाह की आगे की गवाही यह है कि मृतक एक जाना-पहचाना व्यक्ति है और यह घटना इसलिए हुई क्योंकि उसने आरोपी की जेब उठाई थी।यह अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत से भी भिन्न है।निश्चित रूप से, हम इस गवाह के साक्ष्य को विश्वसनीय नहीं पाते हैं।वह स्पष्ट रूप से एक पूर्ण गवाह है, और इसलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, विशेष रूप से जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के तहत "प्रतिष्ठा एक तथ्य है"। हमारा मानना है कि दोनों अदालतों को पी. डब्ल्यू. 3 की गवाही पर भरोसा नहीं करना चाहिए था, जो एकमात्र चश्मदीद गवाह है।हम इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा करना चाहते हैं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

तारसीम कुमार बनाम दिल्ली प्रशासन।, 1994 पूरक (3) एस. सी. सी. 367:

“18. एकमात्र बची हुई परिस्थिति जिससे निपटा जाना है, वह है अपीलार्थी द्वारा किया गया कथित खुलासा और उसके कहने पर अपीलार्थी से संबंधित रक्तरंजित कपड़ों की बरामदगी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 को देखते हुए, इस साक्ष्य को स्वीकार करने और सभी उचित

संदेह से परे साबित होने पर अन्य परिस्थितियों के साथ इस पर विचार करने में कोई कठिनाई नहीं थी।लेकिन वर्तमान मामले की दुर्भाग्यपूर्ण विशेषता, जिसे निचली विचारण न्यायालय ने भी देखा है, यह है कि कई गवाह जिन्हें ए कहा जा सकता है।

जी.

एच.

279

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

पुलिस के मुख्य गवाह होने के लिए, महत्वपूर्ण परिस्थितियों को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किया गया है।इस पृष्ठभूमि में न्यायालय को इस मामले में पुलिस द्वारा की गई जांच को लेकर बहुत सतर्क रहना होगा।अपीलार्थी द्वारा किए गए प्रकटीकरण पर उसके रक्तरंजित कपड़ों की बरामदगी से संबंधित परिस्थिति की जांच अभि. साक्षी 9, अभि. साक्षी 8 और 30, अभि. साक्षी 2 और 3 जैसे गवाहों की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए, जिन पर ऊपर उल्लिखित कारणों से कोई भरोसा करना मुश्किल है।यह अभिनिर्धारित करना संभव नहीं है कि अभियोजन पक्ष के मामले के महत्वपूर्ण संबंध, जिन्हें किसी निष्कर्ष को अभिलिखित करने से पहले साबित करना आवश्यक है, कि साक्ष्य की श्रृंखला पूरी हो गई है, उचित संदेह से परे साबित हुए हैं।यदि पीडब्लू 2 और 3 के साक्ष्य को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो मुख्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य कि अपीलार्थी के पास विचाराधीन कमरे का अनन्य अधिकार था और उसने पीडब्लू 2 और 3 द्वारा गड्ढा खोदा था जिसमें पीड़ित का शव 18-1 की रात को मिला था, यह साबित नहीं हुआ माना जाएगा।"

बी.

सी.

डी.

7. यह मानते हुए भी कि पी. डब्ल्यू. 3 की गवाही पर आंशिक रूप से भरोसा किया जा सकता है, किसी अन्य सबूत के साथ किसी भी पुष्टि के अभाव में, केवल उसी आधार पर अपीलार्थियों को दोषी ठहराना मूर्खतापूर्ण होगा।इस संबंध में, राजेश मामले में इस न्यायालय के फैसले का संदर्भ दिया जा सकता है।

यादव और एन**.** आर**.** वी**.**उत्तर प्रदेश राज्य**, 2022** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन एससी

ई.

150 , जिसके मामले में इस न्यायालय द्वारा दिया गया शास्त्रीय निर्णय

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, 1957 एससीआर 981

ऐसी परिस्थितियों में साक्ष्य पर ध्यान दिया गया है, "साक्ष्य की प्रशंसाः

20. हम पहले ही साक्ष्य के विभिन्न वर्गीकरण का संकेत दे चुके हैं।उपरोक्त साक्ष्य को उससे जुड़े मामलों के साथ सराहना करते हुए, साक्ष्य को मोटे तौर पर तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, अर्थात् (i) पूरी तरह से विश्वसनीय, (ii) पूरी तरह से अविश्वसनीय और (iii) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।यदि साक्ष्य, उसके आसपास के मामलों के साथ, न्यायालय को विश्वास दिलाता है कि यह पूरी तरह से विश्वसनीय है क्योंकि यह एक मुद्दा है, तो यह संभावना की डिग्री पर अपने अस्तित्व का फैसला कर सकता है।ऐसा ही मामला है जहाँ सबूत विश्वसनीय नहीं हैं।जब प्रस्तुत साक्ष्य न तो पूरी तरह से विश्वसनीय होता है और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय होता है, तो इसकी पुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, और ऐसे मामले में, न्यायालय अन्य मामलों में उपलब्ध विरोधाभासों पर भी ध्यान दे सकती है।कानून के उपरोक्त सिद्धांत को प्रसिद्ध में प्रतिपादित किया गया है

एफ.

जी.

एच.

वादिवेलु थेवर बनाम मद्रास राज्य, 1957 एस. सी. आर. 981 में इस न्यायालय का निर्णयः

“इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि यह तर्क कि एक हत्या के मामले में, न्यायालय को गवाहों की बहुलता पर जोर देना चाहिए, बहुत व्यापक रूप से कहा गया है।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 ने स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया है कि "किसी भी मामले में, किसी भी तथ्य के प्रमाण के लिए गवाहों की किसी विशेष संख्या की आवश्यकता नहीं होगी।"विधायिका ने बहुत पहले 1872 में, संभवतः पक्ष और विपक्ष पर उचित विचार करने के बाद, यह निर्धारित किया था कि किसी तथ्य के प्रमाण या खंडन के लिए किसी विशेष संख्या में गवाहों को बुलाना आवश्यक नहीं होगा।इंग्लैंड में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के पारित होने से पहले और बाद में, सरकार के साक्ष्य कानून-9 वीं संस्करण, पृष्ठ 1100 और 1101 में निर्धारित किए गए कई कानून हैं, जो एक ही गवाह की गवाही पर दोषसिद्धि को प्रतिबंधित करते हैं।भारतीय विधानमंडल ने एस में मान्यता प्राप्त सामान्य नियम के लिए ऐसे किसी भी अपवाद को निर्धारित करने पर जोर नहीं दिया है।134 ऊपर उद्धृत किया गया।इस खंड में एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कहावत है कि "साक्ष्य को

तौला जाना चाहिए और गिना नहीं जाना चाहिए"।हमारे विधानमंडल ने इस तथ्य को वैधानिक मान्यता दी है कि यदि एक विशेष संख्या में गवाहों पर जोर दिया जाता है तो न्याय के प्रशासन में बाधा आ सकती है।ऐसा शायद ही कभी होता है कि कोई अपराध केवल एक गवाह की उपस्थिति में किया गया हो, उन मामलों को छोड़कर जो असामान्य घटना के नहीं हैं, जहां अपराध का निर्धारण पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है।यदि विधानमंडल गवाहों की बहुलता पर जोर देता है, तो ऐसे मामले जहां अपराध के प्रमाण में केवल एक गवाह की गवाही उपलब्ध हो सकती है, उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा।यही वह जगह है जहाँ पीठासीन न्यायाधीश का विवेक कार्य में आता है।इस प्रकार मामला प्रत्येक मामले की परिस्थितियों और एकल गवाह के साक्ष्य की गुणवत्ता पर निर्भर होना चाहिए जिसकी गवाही को या तो स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना है।यदि न्यायालय द्वारा ऐसी गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे सबूत पर आरोपी व्यक्ति को दोषी ठहराने में कोई कानूनी बाधा नहीं है।जिस प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति का अपराध एक गवाह की गवाही से साबित किया जा सकता है, उसी प्रकार एक अभियुक्त व्यक्ति की बेगुनाही एक गवाह की गवाही से स्थापित की जा सकती है, भले ही ए के लिए मामले की सच्चाई की गवाही देने के लिए काफी संख्या में गवाह सामने आ सकते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

281

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

अभियोजन।इसलिए, हमारी राय में, यह कानून का एक ठोस और अच्छी तरह से स्थापित नियम है कि न्यायालय का संबंध गुणवत्ता से है न कि किसी तथ्य को साबित करने या गलत साबित करने के लिए आवश्यक साक्ष्य की मात्रा से।आम तौर पर, इस संदर्भ में मौखिक गवाही को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात्ः(1) पूरी तरह से विश्वसनीय।

बी.

(2) पूरी तरह से अविश्वसनीय।

(3) न तो पूरी तरह से विश्वसनीय और न ही पूरी तरह से अविश्वसनीय।

सबूत की पहली श्रेणी में, न्यायालय को किसी भी तरह से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए-वह किसी एक गवाह की गवाही पर दोषी ठहरा सकती है या बरी कर सकती है, अगर वह निंदा या रुचि, अक्षमता या अधीनता के संदेह से ऊपर पाई जाती है।दूसरी श्रेणी में, न्यायालय को समान रूप से अपने निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है।यह मामलों की तीसरी श्रेणी में है कि न्यायालय को चौकस रहना पड़ता है और विश्वसनीय गवाही, प्रत्यक्ष या परिस्थितिजन्य द्वारा सामग्री विवरणों में पुष्टि की तलाश करनी होती है।गवाहों की बहुलता पर जोर देने में एक और खतरा है।एकल गवाह के मौखिक साक्ष्य की गुणवत्ता के बावजूद, यदि अदालतें किसी भी तथ्य के प्रमाण में गवाहों की बहुलता पर जोर देती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से गवाहों के अधीनता को प्रोत्साहित करेंगे।ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं और उत्पन्न हो सकती हैं जहाँ किसी विवादित तथ्य के समर्थन में साक्ष्य देने के लिए केवल एक व्यक्ति उपलब्ध हो।स्वाभाविक रूप से न्यायालय को ऐसी गवाही पर सावधानीपूर्वक विचार करना पड़ता है और यदि यह संतुष्ट हो जाता है कि साक्ष्य विश्वसनीय है और उन सभी कलंकों से मुक्त है जो मौखिक गवाही को संदेह के लिए खुला रखते हैं, तो ऐसी गवाही पर कार्रवाई करना उसका कर्तव्य बन जाता है।कानूनी रिपोर्टों में कई उदाहरण हैं जहां न्यायालय को अभियोजन पक्ष के समर्थन में एक गवाह की गवाही पर निर्भर रहना पड़ता था और उस पर कार्रवाई करनी पड़ती थी।इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, यौन अपराधों के मामलों में या एक सरकारी गवाह की गवाही के मामलों में; ये दोनों ऐसे मामले हैं जिनमें मौखिक गवाही, अपनी प्रकृति से, संदिग्ध है, जो अपराध में भागीदार है।लेकिन, जहां ऐसे कोई असाधारण कारण काम नहीं कर रहे हैं, यह न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि वह दोषी ठहराए, अगर यह संतुष्ट हो कि एक गवाह की गवाही पूरी तरह से विश्वसनीय है।इसलिए, हमारे पास पहले गवाह की गवाही पर कार्रवाई करने से इनकार करने का कोई कारण नहीं है, जो अभियोजन पक्ष के समर्थन में एकमात्र विश्वसनीय सबूत है।”

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

8. पीडब्लू4 मृतक का नाबालिग भाई है।पी. डब्ल्यू. 2 का साक्ष्य, जैसा कि हमारे द्वारा चर्चा की गई है, वर्तमान गवाह के बिल्कुल विपरीत है।अन्यथा भी, यह गवाह प्रत्यक्षदर्शी नहीं है।उनकी उपस्थिति इस कारण से भी संदिग्ध है कि जांच शुरू करने वाले पुलिस अधिकारी पीडब्लू11 ने उन्हें अस्पताल में नहीं देखा था।इस सबूत की पुष्टि करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि उन्हें बाद में धमकी दी गई है।यह गवाह इस हद तक कहता है कि विपिन, जिसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है और उसे दिखाया जाता है, उसका असली भाई नहीं है, हालांकि उसकी माँ इसे स्वीकार करती है।हम यह भी नोट कर सकते हैं कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कहा है कि उसने पुलिस स्टेशन में ए 1 और ए 2 को या तो आई. डी. 2 या आई. डी. 1 पर देखा था और पुलिस ने उसे बताया कि उन्होंने ही उसके भाई की हत्या की थी।यह कहने के लिए पर्याप्त है कि इस गवाह का साक्ष्य विश्वास को प्रेरित नहीं करता है।

बी.

सी.

9. पीडब्लू5 वह गवाह है जिसके सेलफोन का उपयोग पुलिस स्टेशन में कॉल करने के लिए किया गया था।उन्होंने पदच्युत किया है कि दो से तीन महीने के बाद, उनके हस्ताक्षर एक खाली कागज पर प्राप्त किए गए थे और इस प्रकार, उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया था।यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीडब्लू5 घटना के स्थान पर पीडब्लू1 की उपस्थिति से भी इनकार करता है और इसी तरह पीडब्लू4 भी।

डी.

10. पीडब्लू6 ए 1 का भाई है।कहा जाता है कि यह उसकी कार है जिसका उपयोग आरोपी द्वारा किया गया था, जो घटना के बाद उक्त वाहन में यात्रा करके भाग गया।वह भी मुकर गया और किसी भी मामले में, पी. डब्ल्यू. 3 का साक्ष्य स्वयं अभियोजन पक्ष के मामले के विपरीत है, क्योंकि यह उसका सबूत है कि वे पैदल भाग गए थे।

ई.

11. पीडब्लू11 जाँच अधिकारी है जिसने जाँच शुरू की।इस गवाह ने, जैसा कि पहले कहा गया है, मृतक के किसी भी रिश्तेदार को अस्पताल में नहीं देखा है, जिसमें पीडब्लू 1,2 और 4 शामिल हैं, इसके बावजूद कि वह रात 8.50 बजे से रात 9.15 बजे तक अस्पताल में मौजूद था।इतना ही नहीं, उन्होंने शुरू में अपनी मुख्य परीक्षा में भी यह बयान दिया कि चश्मदीद गवाह पी. डब्ल्यू. 3 के पिता तीरथ राम थे।यद्यपि यह गवाह जाँच का हिस्सा है, प्रस्तुत साक्ष्य वास्तव में बचाव पक्ष के मामले में मदद करता है, अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी पुनः जाँच के बावजूद जिसके माध्यम से उसने अपना संस्करण बदल दिया कि यह पीडब्लू 3 था जो चश्मदीद गवाह था।

एफ.

जी.

12. पीडब्लू20 जाँच अधिकारी है, जिसने पीडब्लू11 से जाँच शुरू की।वह पीडब्लू9 के साथ ए 1 और ए 2 की गिरफ्तारी के अनुसरण में की गई बरामदगी के बारे में बात करता है।वसूली मजार पर हस्ताक्षर करने के लिए कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया था।हम इस तथ्य से अवगत हैं कि कानून में हर समय ऐसी प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, ए.

एच.

283

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

मजबूत संदेह इस तथ्य के कारण है कि ए 2 द्वारा इस्तेमाल किया गया चाकू ए 1 के स्थान से बरामद किया गया था और दोनों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत दिए गए उनके बयान पर उस स्थान पर ले जाया गया था। इस प्रकार, तथाकथित पुनर्प्राप्ति एक गंभीर संदेह पैदा करती है, जो रक्षा के लाभ के लिए है।

13. दोनों अपीलार्थियों पर केवल आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत उपलब्ध साक्ष्य के नियम के आधार पर आरोप लगाया गया है। धारा 34 अपने आप में अपराध नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक दायित्व पैदा करती है।अभियोजन पक्ष को मूलभूत तथ्यों को साबित करना होगा।न केवल घटना, बल्कि सामान्य इरादे को भी इससे परे साबित करना होगा

बी.

उचित संदेह।जसदीप सिंह उर्फ जस्सू बनाम पंजाब राज्य मामले में,

सी.

(2022) 2 एस**.** सी**.** सी**. 545** इस न्यायालय ने आई**.** पी**.** सी**.** की धारा **34** के दायरे पर निम्नानुसार विचार कियाः

“17. हम सबसे पहले आई. पी. सी. की धारा 34 को समझने के लिए इतिहास में वापस जाएंगे क्योंकि यह शुरुआत में थी और अब भी मौजूद है।

डी.

ई.

18. एक तुलना में, यह समझा जा सकता है कि "सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" वाक्यांश को बाद में क़ानून पुस्तक में जोड़ा गया था।यह पहली बार बार्न्स पीकॉक, सी. जे. द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक पीठ की अध्यक्षता करते हुए आर. वी. में अपना निर्णय देते हुए गढ़ा गया था।गोराचंद गोप [आर. वी.]गोराचंद गोप, 1866 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 16] जिसने संभवतः 1870 में आई. पी. सी. की धारा 34 में किए गए संशोधन को प्रेरित और त्वरित किया होगा।निम्नलिखित परिच्छेद उपरोक्त संभावित दृष्टिकोण को विश्वास दिला सकता हैः(एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल)

एफ.

जी.

“ऐसा नहीं है कि, क्योंकि वे उसे ले जाने के इरादे से मौजूद थे, कि उन्होंने उसकी पिटाई में अपनी उपस्थिति से इस हद तक सहायता की कि मृत्यु का कारण बन सके।अगर

एच.

अमोर्दी को जब्त करने वालों का उद्देश्य और योजना केवल उसे चोरी के आरोप में ठाणे ले जाना था, और उसे मारना आम योजना का हिस्सा नहीं था, वे सभी केवल इसलिए पिटाई के परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे क्योंकि वे मौजूद थे।यह निर्धारित किया गया है कि जब कई व्यक्ति एक साथ एक समान उद्देश्य में लगे हुए हैं, जो वैध या गैरकानूनी है, और उनमें से एक, दूसरों की जानकारी या सहमति के बिना, अपराध करता है, तो अन्य अपराध में शामिल नहीं होंगे, जब तक कि किया गया कार्य किसी तरह से सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में न हो। यह भी कहा जाता है, हालांकि एक आदमी उस समय मौजूद होता है जब कोई अपराध किया जाता है, अगर वह इसमें कोई भाग नहीं लेता है, और इसे करने वालों के साथ मिलकर काम नहीं करता है, तो वह केवल इसलिए प्रिंसिपल नहीं होगा क्योंकि उसने इसे रोकने या अपराधी को पकड़ने का प्रयास नहीं किया था।लेकिन अगर कई लोग किसी व्यक्ति को पकड़ने और चोरी के आरोप में उसे थाने ले जाने के उद्देश्य से एक साथ बाहर जाते हैं, और अन्य लोगों की उपस्थिति में दल के कुछ लोग उस व्यक्ति को क्रूर और हिंसक तरीके से पीटते हैं और बुरा व्यवहार करते हैं, और अन्य लोग खड़े रहते हैं और उन्हें उनके क्रूर और हिंसक आचरण से रोकने का प्रयास किए बिना देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों को तथ्यों से निपटना पड़ता है, वे बहुत ठीक से अनुमान लगा सकते हैं कि वे सभी पार्टियों को स्वीकार कर रहे थे और सामूहिक रूप से काम कर रहे थे, और यह कि पिटाई एक सामान्य साजिश को आगे बढ़ाने के लिए थी।मुझे नहीं पता कि सबूत क्या था, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो भी

उपस्थित हैं, वे आवश्यक रूप से उनकी उपस्थिति में किए गए हर कार्य में उनकी उपस्थिति से सहायता नहीं करते हैं, और न ही परिणामस्वरूप प्रधान के रूप में दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।"

बी.

सी.

डी.

ई.

19. आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ आगे बढ़ने से पहले, आई. पी. सी. की धारा 33 पर एक झलक बेहतर समझ दे सकती है।आई. पी. सी. की धारा 33 एकल अधिनियम के रूप में कृत्यों की एक श्रृंखला को अपने दायरे में लाती है।इसलिए, आई. पी. सी. की धारा 34 से 39 को आकर्षित करने के लिए, कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों की एक श्रृंखला एक ही कार्य से संबंधित होगी जो एक आपराधिक अपराध है।इसी तरह का अर्थ "चूक" शब्द को भी दिया गया है, जिसका अर्थ है कि चूक की एक श्रृंखला का अर्थ भी एक ही चूक होगा।इस प्रकार यह प्रावधान यह स्पष्ट करेगा कि एक अधिनियम का अर्थ होगा और इसके साथ अन्य अधिनियम भी शामिल होंगे।20. आई. पी. सी. की धारा 34 एक व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध का गठन करने वाले आपराधिक कार्य को लागू करके और आयात करके एक काल्पनिक कल्पना का निर्माण करती है।

एफ.

जी.

एच.

285

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [एम. एम. सुंदरेश, जे.] ए.

दूसरों में, एक सामान्य इरादे के अनुसरण में।न्यायालय की संतुष्टि के लिए सामान्य इरादे को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष पर है।साक्ष्य की गुणवत्ता पर्याप्त, ठोस, निश्चित और स्पष्ट होनी चाहिए।जब अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त को आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे में लाने के लिए पेश किए गए साक्ष्य के एक हिस्से पर विश्वास नहीं किया जाता है, तो शेष भाग की पर्याप्त सावधानी और सावधानी के साथ जांच करनी होगी, क्योंकि हम अभियुक्त पर प्रत्यावर्ती दायित्व के मामले से निपट रहे हैं, जिसमें उसे उस व्यक्ति के बराबर माना जाता है जिसने वास्तव में अपराध किया था।

बी.

21. जो आवश्यक है वह सामान्य इरादे का प्रमाण है।इस प्रकार, सामान्य इरादे के बिना कोई अपराध हो सकता है, जिस मामले में आई. पी. सी. की धारा 34 आकर्षित नहीं होती है।

सी.

22. यह फुटबॉल के खेल के समान एक टीम प्रयास है जिसमें डिफेंडर, मिड-फील्डर, स्ट्राइकर और एक कीपर जैसे कई लोगों द्वारा संचालित कई स्थान शामिल हैं।एक स्ट्राइकर लक्ष्य को मार सकता है, जबकि एक कीपर हमले को रोक सकता है।मैच का परिणाम, या तो जीत या हार, सभी खिलाड़ियों द्वारा वहन किया जाता है, हालांकि उनकी अपनी अलग भूमिका हो सकती है। एक गोल किया गया या बचाया गया अंतिम कार्य हो सकता है, लेकिन परिणाम ही मायने रखता है।जिन विशिष्ट व्यक्तियों ने अधिक प्रभाव डाला था, उनके खिलाफ परिणाम खिलाड़ियों के बीच साझा किया जाता है।यही तर्क आई. पी. सी. की धारा 34 की नींव है जो उन लोगों पर साझा दायित्व पैदा करती है जो अपराध करने के लिए समान इरादे रखते हैं।23. आई. पी. सी. की धारा 34 का उद्देश्य एक पक्ष के व्यक्तिगत सदस्यों के कार्यों को अलग करने में कठिनाइयों को दूर करना है, जो एक सामान्य इरादे को आगे बढ़ाते हुए कार्य करता है।एक विशेष परिणाम लाने की आपराधिक कार्रवाई में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक साथ जागरूक मन होना चाहिए। इसके अस्तित्व के लिए एक सामान्य इरादा तथ्य का सवाल है और "उक्त इरादे को आगे बढ़ाने के लिए" एक कार्य की भी आवश्यकता है।किसी को ठोस साक्ष्य की खोज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह न्यायालय को संचयी मूल्यांकन पर एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। यह केवल साक्ष्य का एक नियम है और इस प्रकार कोई ठोस अपराध पैदा नहीं करता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

24. आम तौर पर, शारीरिक रूप से किए गए अपराध में, आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत आरोपित अभियुक्त की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहां अभियुक्त को जिम्मेदार ठहराया गया कार्य उकसाने/उकसाने वाला है।हालाँकि, अपवाद हैं, विशेष रूप से, जब किसी अपराध में अलग-अलग समय और स्थानों पर किए गए विविध कार्य शामिल होते हैं।इसलिए इसे मामले-दर-मामले के आधार पर देखा जाना चाहिए।

एच.

25. "आगे बढ़ना" शब्द भविष्य में प्रभाव पैदा करने में सहायता या सहायता के अस्तित्व को इंगित करता है।इस प्रकार, इसे एक उन्नति या पदोन्नति के रूप में माना जाना चाहिए।

26. ऐसे मामले हो सकते हैं जहां सभी कार्य, सामान्य रूप से, आई. पी. सी. की धारा 34 के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन केवल वे जो पर्याप्त संपर्क रखने वाले सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए जाते हैं।जब हम इरादे की बात करते हैं तो यह प्रस्तावित अपराध के लिए आवश्यक किसी भी मौजूदा तथ्य की पर्याप्त जानकारी के साथ आपराधिकता का होना चाहिए। इस तरह का इरादा उपरोक्त आवश्यक ज्ञान के साथ अपराध करने में सहायता, प्रोत्साहन, बढ़ावा और सुविधा प्रदान करने के लिए है।

बी.

सी.

27. समान इरादे का अस्तित्व स्पष्ट रूप से अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह साबित करे। हालाँकि, एक न्यायालय को आई. पी. सी. की धारा 34 के तहत किसी व्यक्ति को फंसाने से पहले सबूतों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना होता है। केवल एक सामान्य इरादा आई. पी. सी. की धारा 34 को आकर्षित नहीं कर सकता है, बिना आगे की कार्रवाई के।ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां एक व्यक्ति अपराध करने के लिए एक सामान्य इरादा बनाने में सक्रिय भागीदार होने के बावजूद, वास्तव में बाद में इससे पीछे हट सकता है।बेशक, यह भी न्यायालय के विचार के लिए तथ्यों में से एक है।इसके अलावा, यह तथ्य कि आई. पी. सी. की धारा 34 सहपठित अपराध के लिए आरोपित सभी आरोपी अपराध के लिए उपस्थित हैं, खुद को या दूसरों को मना किए बिना एक प्रासंगिक परिस्थिति हो सकती है, बशर्ते कि एक पूर्व सामान्य इरादा विधिवत साबित हो।एक बार फिर, यह एक ऐसा पहलू है जिस पर न्यायालय द्वारा उसके सामने रखे गए साक्ष्य पर गौर करने की आवश्यकता है।बचाव पक्ष की ओर से ऐसे मामले में विशेष रूप से ऐसी याचिका दायर करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है जहां न्यायालय के समक्ष पर्याप्त सबूत उपलब्ध हों।"

डी.

ई.

एफ.

14. उक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए, हम इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रहे हैं कि दोनों न्यायालयों द्वारा दी गई दोषसिद्धि को कानून की नजर में बनाए रखा जा सकता है।दोनों न्यायालयों ने प्रतिकूल निष्कर्ष निकालकर परीक्षण पहचान परेड से गुजरने के लिए अभियुक्त की ओर से असहयोग पर भरोसा किया।दुर्भाग्य से, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की जांच नहीं की गई क्योंकि गवाहों को पहले ही पुलिस स्टेशन में आरोपी के सामने उजागर कर दिया गया था। आखिरकार, परीक्षण पहचान परेड केवल एक जांच का एक हिस्सा है, और इसलिए, इससे

अधिक कुछ नहीं जोड़ा जा सकता है।अभियोजन पक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करे।दोनों न्यायालयों ने ए तय किया है।

जी.

एच.

287

शिशपाल @शिशु बनाम राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) [एम. एम. सुंदरेश, जे.]

अभियुक्त पर आरोप।उच्च न्यायालय को पीडब्लू1 के साक्ष्य पर गंभीरता से संदेह करने के बाद संदेह का लाभ बढ़ाना चाहिए था क्योंकि पीडब्लू3 के साक्ष्य को ऊपर बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य स्वयं यह प्रदर्शित करेंगे कि अभियोजन पक्ष का बयान सही नहीं हो सकता है।यदि उच्च न्यायालय के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत अपराध नहीं किया जा सकता है।हालाँकि, हम उक्त मुद्दे में नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष इन अपीलार्थियों के खिलाफ आरोप को बनाए रखने में सक्षम नहीं है, जिसे आई. पी. सी. की धारा 34 के सहपठित धारा 302 के तहत बनाया गया है। रचनात्मक दायित्व के आधार पर अपीलार्थियों को आरोपित करने के लिए पर्याप्त सामग्री होनी चाहिए क्योंकि आई. पी. सी. की धारा 34 साक्ष्य के नियम के अलावा और कुछ नहीं है।

बी.

सी.

15. उपरोक्त विश्लेषण पर, हम विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पूर्व) एफ. टी. सी. द्वारा दी गई दोषसिद्धि को अपास्त करनाने के लिए इच्छुक हैंःई-कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, दिल्ली जैसा कि दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पुष्टि की गई है।अपीलों की अनुमति दी जाती है और अपीलार्थियों को रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

डी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायकः आरश चौधरी, एलसीआरए)

ई.

एफ.

जी.

एच.